संख्या- 83 /XXVII(1)/2013

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक : 15 फरवरी, 2013

विषय :*वित्तीय वर्ष 2012-13 में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेन्ट) नियमावली 2008 के अधीन सामग्रियों के क्रय की समय-सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में।*

महोदय,

अवगत कराना है कि अवस्थापना एवं सेवा परियोजनाओं के लिये सामग्री, निर्माण कार्यो, सेवाओं की अधिप्राप्ति और लेखा निजी सहभागिता की व्यवस्था करने के प्रयोजन और उनसे सम्बन्धित अनुषांगिक विषयों के विनियमन के लिये ***उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेन्ट) नियमावली, 2008*** प्रख्यापित की गई है।

विगत वर्षो में वित्तीय समीक्षा के दौरान यह परिलक्षित हुआ है कि अधिकांश विभागों द्वारा आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर दोनों ही पक्षों में वेतन को छोड़कर शेष धनराशि का एक बड़ा अंश केवल माह फरवरी एवं मार्च में व्यय किया जाता है। इस प्रकार की स्वीकृति विशेष रूप से पूंजीगत कार्यो, जिसमें निर्माण कार्य होते हैं, में देखने को मिलती है जिससे यह स्पष्ट है कि बड़ी मात्रा में धनराशि की पार्किग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से की जा रही है, जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिससे राज्य की वित्तीय एवं अर्थोपाय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

उक्त के परिपेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेन्ट) नियमावली, 2008** के प्राविधानों के क्रम में सामग्री क्रय से सम्बन्धित जो भी क्रयादेश निर्गत किये जाने है उस सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही पूर्ण कर यथाशीघ्र क्रयादेश निर्गत कर दिये जाय तथा अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों का अनुपालन

BUDGET

सुनिश्चित करते हुये ***सामग्रियों के क्रय की कार्यवाही दिनांक 25 फरवरी, 2013 तक पूर्ण कर ली जाय।*** दिनांक 25 फरवरी, 2013 के बाद वाह्य सहायतित परियोजनाओं एवं केन्द्रपोषित योजनाओं को छोड़कर अन्य किसी भी योजना में निर्गत क्रयादेश का भुगतान नहीं किया जायेगा। यह प्रतिबन्ध चिकित्सा, पशुधन की औषधियों, चिकित्सालय, शिक्षा विभाग के आवासीय विद्यालय, छात्रावास एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित आवासीय संस्थायें, गृह विभाग के अन्तर्गत जेल, प्रशिक्षण केन्द्र अथवा अन्य आवासीय संस्थायें इत्यादि के संचालन हेतु आवश्यक खाद्य सामग्रियों के क्रय पर लागू नहीं होगी। कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :यथोक्त।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या 83 (1)/XXVII(1)/2013 एवं तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊ, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय एकक देहरादून।

आज्ञा से,

(एल० एन० पन्त)
अपर सचिव, वित्त